न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी– गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 19 सन् 2012
पंजीयन दिनांक 18.01.2012

1. उदा पिता मोती गुर्जर उम्र वयस्क निवासी पारोली।
2. भगवाना पिता मोती गुर्जर उम्र वयस्क निवासी पारोली।
3. रामी पुत्री मोती गुर्जर उम्र वयस्क निवासी पारोली हाल मुकाम देवरी तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांटगण

विरूद्ध

1. गिरधारी पिता श्री कालू लाल गुर्जर निवासी पारोली।(नाम पृथक)
2. कंकू पिता कालू पत्नी श्री जयराम जी गुर्जर निवासी पारोली।
3. भगवानी पुत्री कालू पत्नी लोभा गुर्जर निवासी आमली तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा।
4. कमला पिता कालू पत्नी मांगू गुर्जर निवासी गोपालपुरा नारेला के पास तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़।
5. भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अंतिम निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ

प्रकरण संख्या 159/2011 अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2011

उपस्थित– 1. कृष्ण गोपाल झंवर–अधिवक्ता अपीलान्टगण

2. रेस्पोडेन्ट सं. 2,3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित

3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 5

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़

निर्णय

दिनांक 10.05.2023

अपीलार्थीगण ने यह अपील धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.12.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 गिरधारी पिता कालू जी गुर्जर निवासी पारोली द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा रेस्पोंडेंट संख्या दो से लगायत पाँच तक एवं अपीलांट क्रमांक एक से लगायत तीन के विरुद्ध बाबत बंटवारा आराजियात का पेश किया जिसे विचारण न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय कार्रवाई कर दिनांक 26.12.2011 को निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या चार ने समन लेने से मना किया एवं नियत तारीख पेशी पर भी अनुपस्थित रहा। इसी प्रकार रेस्पोंडेंट संख्या दो एवं तीन भी बावजूद सूचना के नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहे। रेस्पोंडेंट संख्या एक का नाम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए डिलीट किया गया। अतः अपील में रेस्पोंडेंट संख्या पाँच शेष रहते हैं रेस्पोंडेंट संख्या पांच की तरफ से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित रहे।

3 हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4 योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों एवं नियम के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। विचारण न्यायालय में हमारे अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी नहीं करने संबंधित कथन की सूचना हमे नही दी गई साथ ही विचारण न्यायालय का यह दायित्व है कि वह हम अपीलांट को इस बाबत सूचित करते ताकि हम अन्य अधिवक्ता के जरिए अपना पक्ष रख पाते। विचारण न्यायालय द्वारा हमारे विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई आदेश पारित किया गया जिससे हमें जवाब साक्ष्य इत्यादि पेश करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ एवं हमारे विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा एक आरआरटी 2014-15 पेज 62 से 65 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय भी प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

की गई। अतः विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करने का निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या पाँच द्वारा दौराने बहस विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधि सम्मत बताया गया एवं अपील खारिज करने का कथन किया गया।

5. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकॉर्ड का बारीकी से अध्ययन किया।

6. विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में लिखी गई आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 26.12.2011 को वाद में प्रतिवादी संख्या एक पाँच व छह की तरफ से नियुक्त अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी नही करने सबंधित कथन किया गया जो कि प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी क्रमांक दो व तीन है। जबकि अपीलान्ट क्रमांक एक बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा आदेश पारित करने से पूर्व यह संतुष्टि नहीं की गई कि अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी नहीं करने की सूचना संबंधित प्रतिवादीगण को दे दी गई है अथवा नहीं। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 3 नियम 4 में यह प्रावधान है कि जब कोई अधिवक्ता किसी प्रकरण में हिदायत पैरवी नहीं होना कथन करता है तो न्यायालय एवं अधिवक्ता की बाध्यता है कि वह पक्षकार को नोटिस जारी करें तत्पश्चात ही प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई करें जबकि हस्तगत प्रकरण में इस प्रकार की कार्रवाई संपादित होना नहीं पाया गया है।

7. उक्त परिपेक्ष्य में विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध अधिवक्ता के हिदायत पैरवी नहीं करने के कथन पर एकतरफा कार्रवाई अमल में लिए जाने का आदेश एवं पारित एक तरफा डिक्री सिविल प्रक्रिया संहिता एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त प्रावधानों की अनदेखी करते हुए विचाराधीन वाद में निर्णय एवं डिक्री पारित की गई।

ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा उद्धृत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2014-15 पेज 62 से 65 में राजस्व मंडल अजमेर द्वारा इस प्रकार का निर्णय पारित किया गया है कि अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी नहीं करने

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

कथन पर पक्षकार को सूचना दिए बिना एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त योग्य है।

8. उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के परिणाम स्वरूप अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.12.2011 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी चित्तौड़गढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रतिवादी गण के विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई को निरस्त कर मूल वाद में दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 10.05.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

10/5/2023

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)